दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

94/1

पत्रांक : 3917 /05/76/एक/2017–18 दिनांक :09 जनवरी 2018

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–मुरादाबाद।

विषय : **वित्तीय वर्ष 2017–18 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना में स्वीकृत धनराशि से शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक/मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, जल निकासी, नाली निर्माण एवं अन्य सामान्य सुविधा योजना के कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु निम्नप परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण।**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 में आपके जनपद को उक्त योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की जा रही हैः–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
यूनियन बैंक आफ इण्डिया	518402010064624	IFSC Code UBIN0551848	308.232

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
1	मुरादाबाद	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–38 मौ0 जयन्तीपुर (पीर का बाजार) में लालाराम के मकान से देवी के थान तक व आसपास की गलियो बब्लू के मकान से कमल के मकान तक भगवानदास के मकान से गुड्डू के मकान तक, सोमेश सिंह के मकान से राम कपूर के मकान तक, राजपाल के मकान से राजेन्द्र के मकान तक, रामवीर के मकान से ट्टिू के मकान तक व संजय वाली गली तथा आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	34.067
2	मुरादाबाद	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–38 मौ0 जयन्तीपुर (पीर का बाजार) में नासिर मिस्त्री के मकान से भूरे के मकान से होते हुये शकील के मकान तक, नासिर गैस वालों से हसमत भाई के मकान तक, महमूद भाई के मकान से हनीफ भाई के मकान तक, फिदा हुसैन व राशिद भाई की गली व इसरत के मकान से लतिफ भाई के मकान होते हुए वाजिद के मकान तक, वसीम के मकान से नाजिम मकान तक, वाजिद अली के मकान से असलमी मस्जिद के पास व छौअ की गली तथा पास की आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	28.217
3	मुरादाबाद	**अल्पसंख्यक–37 बजट**	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–38 मौ0 जयन्तीपुर में शिवा के मकान से चामुण्डा के आगे तक, महेश से राजू के मकान तक मोहसिंह सेनी की फर्म से चेतराम पाल की बैकरी तक, रूपचन्द्र, चन्द्रसैनी की गली, चन्द्रपाल के मकान से करूला नाले की पुलिया तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	26.838
4	मुरादाबाद	**अल्पसंख्यक–37**	न0नि0	वार्ड नं–38 जयन्तीपुर मे दानिश के मकान से राशिद	22.162

दूरभाष– 2286709

94/2

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37 / 83	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
		बजट	मुरादाबाद	मुल्ला के मकान तक, इडियन पेट्रोल पम्प के बरावर से अचार वालों तक, ज्वैलर्स व पीरबाजार में वैशाली ज्वैलर्स की दुकान से मौ0 अनीस से होते हुये मौ0 इसरार दरोगा जी तक व जयन्तीपुर रोड इन गैसेज से मौ0 साबिर तक, तिकोनिया मस्जिद रोड पर कासिम भाई से कब्रिस्तान तक, यूसूफ भाई से वजीर भाई के मकान तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	
5	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–10 मौ0 भीमाठेर में सविया प्रधान के मकान से नूर मौ0 के मकान तक, जाफर के मकान से नीजार खाँ के मकान तक, जरदार के मकान से हनीफ के मकान तक, नवाव भाई के मकान से रहीस के आगे तक, अक्सर के मकान से दिलशाद के मकान तक, जाकिर के मकान से कादरी मस्जिद तक, सहजादा के मकान से मैन रोड तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	24.351
6	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–10 मौ0 भीमाठेर में पप्पू के मकान से छिददा के मकान तक, यादव जी के मकान से सोमपाल के मकान तक, सुरेन्द्र के मकान से जहीर के मकान तक, भगत जी के मकान से मुशीपाल वाली गली तक, मुल्ला के मकान से दीपक विश्नोई के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.945
7	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड सं0–15 के मो0 काजीपुरा में मौ0 शैन के मकान से काजीपुरा रोड तक एवं कब्रिस्तान की मुख्य सडक तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	27.185
8	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–15 के मो0 काजीपुरा में लोधीपुर रोड पर वशीर के मकान से यासीन के मकान तक, शरीफ के मकान से महेन्द्र के मकान तक यासीन के मकान से रफीक के मकान तक व मियॉजान के मकान से धीरे के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	23.444
9	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–26 के मौ0 सूर्यनगर में रमेश के मकान से कमल सक्सैना के मकान से होते हुये जयन्तीपुर रोड तक, ओ0पी0 गुप्ता के मकान से डा0 वंगाली के मकान तक, डालचन्द्र के मकान से चामुण्डा के मकान तक व आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.198
10	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–15 के मो0 काजीपुरा में महलवपुर रोड पर कब्रिस्तान से कविता के मकान तक, शमशाद के मकान से कासिम के मकान तक, राजवीर के मकान से अकवर के मकान तक व खलील भाई की चक्की वाली गली, लोधीपुर रोड राजू के मकान से जयचन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.443

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या 37/83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	धनराशि का प्रेषण (द्वितीय किश्त)
11	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड नं–12 के मो0 धीमरी में मैनाठेर आबादी रोड पर जहीर के मकान से वाहिद के मकान तक, नवावजान के मकान से जाकिर के मकान तक, साबिर के मकान से टावर वाली मस्जिद तक, असंख्या के मकान से जाकिर के मकान तक, पानी की टंकी से नौशे अली के मकान तक तथा आफताब के मकान से गली के आखीर तक एवं आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	20.788
12	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड सं0 12 के मो0 धीमरी में मुख्य सडक से इन्तजार के मकान तक एवं मुख्य सड़क से इरफान के मकान तक तथा आन्तरिक गलियों में इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.522
13	मुरादाबाद	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0नि0 मुरादाबाद	वार्ड सं0 12 के मो0 धीमरी में चन्द्रसैन के मकान से जुल्फिकार के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	22.072
	योग				308.232

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

94/5

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2017–18 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यकम अधिकारी, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक